प्रेस विज्ञप्ति
21/02/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने 20.02.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स स्पेक्ट्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशकों और अन्य की 13 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में मुंबई में स्थित आवासीय फ्लैट और वाणिज्यिक कार्यालय शामिल हैं।

ईडी ने सीबीआई, बीएसएंडएफबी, मुंबई द्वारा स्पेक्ट्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जयदेव विनोद गुप्ता और अन्य के खिलाफ बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 27.6 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के लिए दर्ज की गई शिकायत के आधार पर जांच शुरू की। स्पेक्ट्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इसके निदेशकों ने धोखाधड़ी वाले लेनदेन और सर्कुलर ट्रेडिंग के माध्यम से ऋण राशि को डायवर्ट करके बैंकों को नुकसान पहुंचाने और खुद को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए आपराधिक साजिश रची। सीबीआई ने मामले में आरोप पत्र दायर किया है।

ईडी की जांच से पता चला है कि स्पेक्ट्रा इंडस्ट्रीज के प्रमोटरों ने विभिन्न फर्जी संस्थाओं के बैंक खातों के माध्यम से धन की लेयरिंग के उद्देश्य से विभिन्न आवास प्रविष्टि प्रदाताओं की सेवाएं लीं। विभिन्न कंपनियों में धन को डायवर्ट करने के लिए संदिग्ध तृतीय-पक्ष लेनदेन किए गए थे। आवास प्रविष्टियाँ प्रदान करने वाली विभिन्न संस्थाओं को किए गए भुगतान के विरुद्ध फर्जी खरीद दर्ज की गई।

इससे पहले, एक तलाशी अभियान चलाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप मामले में आरोपियों से संबंधित 8 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट और इक्विटी शेयर और प्रतिभूतियां और बड़ी संख्या में संपत्ति के दस्तावेज फ्रीज किए गए थे।

आगे की जांच जारी है।